संख्या-20/2025/पी-199/001-38-9002 002 1 2022

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्ययक में सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6221/एफ-31(13)/यूपीआरआरडीए/2025-26, दिनांक-02.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान के मद में वेतन भत्तों हेतु प्रावधानित कुल धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में रू0 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि में अवशेष धनराशि रू0 23.08 लाख को समायोजित करने के उपरान्त रू0 51.92 लाख (रूपये इक्यावन लाख बानवे हजार मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. धनराशि को एक मुश्त आहरित न करते हुए अपितु इसका आहरण आवश्यक्तानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 51,92,000 (रुपये इक्यावन लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2515008000401 उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2025/पी-199/001-38-9002 002 1 2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रह्लाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।